

न्यायालय जिला कलक्टर गंगापूर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ० गौरव सैनी

अपील संख्या 9/24

तारीख रज्जू- 13/05/24

1. मानसिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापूर सिटी।
2. भगवानसिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापूर सिटी।
3. करणसिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापूर सिटी।
4. समयसिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापूर सिटी।
5. दामोदर सिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापूर सिटी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी।

—रेस्पोंडेंट

निर्णय


दिनांक 30/05/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी द्वारा मिसल संख्या 94/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19/03/2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरासपुर के आराजी खं० नं० 262 रकबा 0.47 है० किस्म गै० मु० बारानी 2 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 नियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 नियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी खं० नं० 262 कुल रकबा 0.47 है० किस्म गै० मु० बारानी दोयम वाके ग्राम फरासपुर में है जिसकी वर्तमान में खातेदारी मन्दिर श्री गंगाजी के नाम हाल रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। मन्दिर की खातेदारी की भूमि है जिसको हल्का पटवारी ने गैर मुमकिन बारानी दोयम दर्ज बतलाकर सरकारी भूमि का रकसल काश्त करना बताया है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में




30/05/24
जिला कलक्टर
गंगापूर सिटी (राज०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी के नु0नं0 219/04 उनवानी मुकदमा मूर्ति
मन्दिर श्री गंगाजी बनाम चिरंजी बगै0 चला था। जिसमें दिनांक 30.03.2009 को निर्णय पारित
किया जा चुका है। उक्त दावे में उक्त भूमि रिसीवर में थी लेकिन उप जिला कलेक्टर गंगापूर
सिटी ने उक्त भूमि को रिसीवर से वागुजास्त करने का आदेश नहीं दिया है तथा अपने
आदेश में केवल प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश
दिया है तथा यह भी हवाला नहीं दिया है कि उक्त भूमि 13.10.2023 तक रिसीवर के
कब्जेराज में मानकार पक्षकारान को 13.10.2023 को उक्त भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया
गया लेकिन नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी ने कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अदालत
उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी के आदेश के अनुसार बेदखली की कार्यवाही नहीं कर अवैध
रूप से अपीलान्त को धारा 91 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का नोटिस जारी कर दिया जबकि खातेदारी
भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी में दावा
झिकी होने के बाद जो इजराय विचाराधीन है उसके अनुसार ही बेदखली की कार्यवाही करना
आवश्यक था इसलिये अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्त पश्चातवृत्ति अतिक्रमी की
परिभाषा में नहीं आते है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा निलामी कार्यवाही करने के लिये उक्त
भूमि रिसीवर के कब्जे में मानकर दिनांक 13.10.23 को उक्त भूमि निलाम करने की कार्यवाही
करने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुसार 13.10.2023 के बाद केवल
एक फसल पैदा हो सकती है एवं दो फसल पैदा नहीं हो सकती, साथ ही अधिवक्ता
अपीलान्त ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु
निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार
सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का
अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के
उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व
अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने
के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा
अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी
को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती
अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना
अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापूर सिटी के पत्रांक 140 दिनांक 22.07.2024 द्वारा
संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 18/07/2024 के अनुसार
उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में मौके पर खाली है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त



Janvi
30/7/24


जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (राजस्थान)

आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।
इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द
किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस
निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का
“अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता
है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा ” इस निर्णय से
15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में
पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल
कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा
यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता
है ।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया ।




(डॉ० गौरव सेनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)